न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 06/2026 — निर्णय दिनांकः 15.05.2026

ऑनलाईन नम्बर 2026/11

रीछपाल सिंह पुत्र दानाराम जाति राईका निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर, राजस्थान।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी ग्राम इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी की एकल खातेदारी के खेत खाता नम्बर 52 खसरा नम्बर 101/21 क्षेत्रफल 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107/66 क्षेत्रफल 6.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108/73 क्षेत्रफल 4.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139/105 क्षेत्रफल 4.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98/17 क्षेत्रफल 1.1800 हैक्टेयर रोही ग्राम इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में व प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खाता नम्बर 11 खसरा नम्बर 101/18 क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103/21 क्षेत्रफल 0.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। खाता नम्बर 52 के खेतों की एकल खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हैं एवं खाता नम्बर 11 के खेतों की खातेदारी संयुक्त दर्ज हैं जिसमें प्रार्थी का 11/13 हिस्सा स्थित है। वादगत खेतों में स्थित प्रार्थी के हिस्सा की खातेदारी भूमि प्रार्थी को विरास्तन प्राप्त हुई हैं। वादगत खेतों की खातेदारी दर्ज की गयी तब खाता नम्बर 52 में प्रार्थी का नाम रीछपाल पुत्र दानाराम व खाता नम्बर 11 में प्रार्थी का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम रीछपाल सिंह पुत्र दानाराम हैं जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अर्दधसरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना नाम रीछपाल सिंह पुत्र दानाराम अंकित करवाना चाहता हैं। प्रार्थी वादगत खेतों का रिकार्डेड खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतू दिनांक 24.12.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही बताते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का रिकार्डेड खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त हैं। वादगत खेत गांव इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियांद एवं पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम रीछपाल पुत्र दानाराम व शिशपाल पुत्र दानाराम की जगह रीछपाल सिंह पुत्र दानाराम घोषित कर दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावें। श्रीमान् जी कि अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स्टेट को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 102/21 तादादी 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107/66 तादादी 6.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108/73 तादादी 4.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139/105 तादादी 4.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98/17 तादादी 1.1800 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''रीछपाल पुत्र दानाराम'' के स्थान पर ''रीछपाल सिंह पुत्र दानाराम'' एवं खसरा नम्बर 101/18 तादादी 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103/21 तादादी 0.6100 वाकेरोही ग्राम इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''शिशपाल पुत्र दानाराम'' के स्थान पर ''रीछपाल सिंह पुत्र दानाराम'' दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)